न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 46/2024 (GCMS: 2024/81)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री रवि कुमार** पुत्र श्री बंशीधर जलंधरा उम्र 19 वर्ष जाति कुम्हार निवासी महावीर कॉलोनी, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 84400–44298
2. **फर्म जलंधरा मैटीरियल स्टोर**, सद्भावना नगर, मेन रोड, श्रीगंगानगर

15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता लक्ष्मीकान्त सैनी उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 11.03.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम सद्भावना नगर, मेन रोड स्थित जलंधरा मैटीरियल स्टोर पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में श्री रवि कुमार पुत्र बंशीधर जलंधरा उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर 10 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक की 02 कैनी पायी गयी, जिसे श्री रवि कुमार ने स्वयं का होना स्वीकार किया तथा बताया कि वह **पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान अपनी उक्त दुकान में करता हैं।** मौके पर रवि कुमार द्वारा पेट्रोल/डीजल के बेचान के संबंध में कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। रवि कुमार ने **बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार विवरण) आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6) एवं 4 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण**, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर, मौके पर जब्तशुदा 10 लीटर पेट्रोल मय 02 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी रवि कुमार की ओर से उनके **अधिवक्ता श्री लक्ष्मीकांत** सैनी **ने पूर्व में लिखित जवाब पेश किया है कि** प्रार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत व विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है। प्रार्थी की बिल्डिंग मैटिरियल की दुकान है तथा प्रार्थी किसी प्रकार के पेट्रोल विक्रय का कार्य नहीं करता है।

10 लीटर पेट्रोल प्रार्थी द्वारा अपनी बिल्डिंग मैटिरियल की दुकान पर अपने व्यक्तिगत वाहनों के लिए रख रखा था ना कि विक्रय के लिए रखा हुआ था। दुकान पर प्रार्थी इंजन आदि भी रखता है, जिसके लिये पेट्रोल की आवश्यकता रहती है।

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा 9 में मोटर वाहनें और स्थित इंजनों के लिये छूट दी गई है।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 11.03.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ अप्रार्थी रवि कुमार की दुकान पर पहुचें तो उसके द्वारा बिना कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल/डीजल **का बेचान किया** जा रहा है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब में पेट्रोलिमय अधिनियम 1934 की धारा 9 में मोटर वाहनों और स्थित इंजनों लिए छूट के प्रावधान बताये है। जबकि विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत कार्यवाही की गई है।

अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 10 लीटर पेट्रोल मय 02 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ एवं पुलिस विभाग, श्रीगंगानगर की गठित संयुक्त टीम दिनांक 11.03.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

शिकायत की जांच हेतु सद्भावना नगर, मेन रोड, स्थित जलंधरा मैटीरियल स्टोर पर पहुंचे तो मौके पर श्री रवि कुमार पुत्र श्री वंशीधर जलंधरा दुकान पर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर 10 लीटर पेट्रोल मय 02 प्लास्टिक कैनी दुकान में पायी गयी, जिसे अप्रार्थी रवि कुमार ने स्वयं का होना स्वीकार किया। अप्रार्थी ने बातया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल पेट्रोल का बेचान सद्भावना नगर, मेन रोड स्थित दुकान जलंधरा मैटीरियल स्टोर में स्थित दुकान में करता है। मौके पर रवि कुमार पेट्रोल/डीजल के बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए 10 लीटर पेट्रोल मय 02 प्लास्टिक कैनी को जब्त किया गया। रवि कुमार ने बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है इसलिए जब्तशुदा 10 लीटर पेट्रोल मय 02 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी ने लिखित जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जो साबित करता हो कि अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल का बेचान नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार अप्रार्थी रवि कुमार के कब्जे से उसकी दुकान में 10 लीटर पेट्रोल बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा **अप्रार्थी रवि कुमार के पास पेट्रोल के भण्डारण/बेचान करने का का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है। इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 10 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 10 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 10 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर